

दिनांक:—29.07.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्तागण उपस्थित नहीं। 3 बार आवाज लगायी गयी। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थना पत्र 212 आर टी ऐ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

